न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– हरि सिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

प्रार्थी :–
नाथूसिंह पुत्र महाबक्षसिंह
राजपूत सा. देवली तह. नांवा

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. किशनसिंह पुत्र महाबक्षसिंह
2. महेन्द्रसिंह पुत्र महाबक्षसिंह
3. ब्रजमोहनसिंह पुत्र भैरूसिंह
4. सुरेन्द्रसिंह पुत्र भैरूसिंह
5. चेनसिंह पुत्र भैरूसिंह
6. नरेन्द्रसिंह पुत्र भैरूसिंह
   जाति राजपूत सा. देवली तह. नांवा
7. उप पंजीयक नांवा
8. तहसीलदार नांवा

प्रार्थना पत्र बाबत :– अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार गुर्जर वकील प्रार्थी
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा वकील अप्रार्थी 3 से 6

मुकदमां नम्बर :– 144/2016

निर्णय दिनांक :– 27.12.17

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी 1 व 2 एक ही खानदान के सदस्य हैं एवं श्री महाबक्षसिंह के वारिसान हैं ग्राम देवली के गत खसरा नम्बर 14 मीन रकबा 66 बीघा स्व. महाबक्षसिंह जी के नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही थी जिनका स्वर्गवास होने पर नाथसिंह महेन्द्रसिंह व किशनसिंह के नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही थी। भू प्रबन्ध में गत खसरा नम्बर 14 मीन के नये खसरा नम्बर 86, 49, 56 कुल रकबा 7.51 हैक्टयर कायम हुऐ हैं ग्राम देवली के ही खसरा नम्बर 14 मीन रकबा 29–15 बीघा भूमि सुरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह केनाम दर्ज चली आ रही थी जिसके नये खसरा नम्बर 49, 56 कायम हुऐ गत खसरा नम्बर 14 रकबा 66 बीघा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी 1, 2 के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों द्वारा भू– प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान बिना किसी आदेश के हमारी भूमि कम करके अप्रार्थी 3 सुरेन्द्रसिंह के जो कि 29–15 बीघा भूमि का खातेदार था के नाम दर्ज करते हुऐ उसके 49 बीघा भूमि दर्ज कर दी जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। प्रार्थी अपनी कम हुई भूमि की खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं जिस हेतु न्यायालय में वाद पेश किया हैं जो विचाराधीन हैं खसरा न्मबर 49 व 56 कुल रकबा 7.85 हैक्टयर भूमि का अप्रार्थी 3 से 6 ने आपस में बंटवारा किया हैं जो शूरू से ही नल एण्ड वोर्डड हैं भूमि प्रार्थी व

उपखण्ड अधिकारी
नांवां

अप्रार्थी 1, 2 की कम हुई हैं जिसका रिकार्ड दुरूस्त नहीं होता हैं तब तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किऐ जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रतीत होने से दिनांक 14.09.2016 को ग्राम देवील के खसरा नम्बर 49, 56 कुल रकबा 7.85 हैक्टयर भूमि बाबत अस्थाई निषेधज्ञा जारी करते हुऐ अप्रार्थीगण को बैचान दस्तावेज स्वीकार नहीं करने राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने हेतु आदेश जारी कर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 3 से 6 ने जवाब पेश कर अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया हैं तथा निवेदन किया हैं कि गत खसरा नम्बर 14 मीन के नवीन खसरा नम्बर 86 रकबा 8.18 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी 1, 2 की 2.45 हैक्टयर भूमि स्थित रही हैं शूरू से आज दिन तक खातेदारी यथावत दर्ज रही हैं प्रार्थी ने मनगढत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो चलने योग्य नहीं हैं। अप्रार्थी सुरेन्द्रसिंह पोता भंवरसिंह के नाम पूर्व में 29–15 बीघा भूमि दर्ज थी तथा 21 बीघा भूमि भंवरसिंह पुत्र मगेजसिंह जाति राजपूत के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी अप्रार्थी सुरेन्द्रसिंह को भंवरसिंह पुत्र मगेलसिंह ने गोद लिया था ओर जब भंवरसिंह पुत्र मगेजसिंह का स्वर्गवास हुआ तब भंवरसिंह पुत्र मगेजसिंह की 21 बीघा भूमि की खातेदारी सुरेन्द्रसिंह के नाम जरिये फौतगी नामान्तकरण दर्ज हुई हैं इस प्रकार 29–15 बीघा स्वंय अर्जित भूमि एवं 21 बीघा भूमि भंवरसिंह पुत्र मगेजसिंह के गोद पुत्र होने के नाते रेकर्ड में दर्ज हुई हैं जिसका कुल रकबा 50–15 बीघा होता हैं जो आज भी दर्ज रिकार्ड हैं प्रार्थी ने गलत तथ्यों पेश कर झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो खारिज योग्य है। शेष अप्रार्थीगण के नोटिस विधितव रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत 2042–2045 पेश की हैं जिसके अनुसार खसरा नम्बर 14 रकबा 66 बीघा भूमि कानसिंह पुत्र रूपसिंह राजपूत सा. देह की खातेदारी में खसरा नम्बर 14 मीन रकबा 66 बीघा भूमि नाथूसिंह, महेन्द्रसिंह, किशनसिंह पि. महताबसिंह राजपूत सा. देह की खातेदारी में एवं खसरा नम्बर 14 मीन रकबा 66 बीघा भूमि भंवरसिंह पुत्र मंगेजसिंह राजपूत रकबा 21 बीघा , रेखाराम पुत्र मानाराम कौम जाट रकबा 12 बीघा सावंतासिंह पुत्र मगेजसिंह रकबा 33 बीघा खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं तथा खसरा नम्बर 14 मीन रकबा 29–15 बीघा भूमि सुरेन्द्रसिंह पोता भंवरसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 14 एवं खसरा नम्बर 14 मीन से 3 खसरा नम्बर थे जिसमें एक खसरा नम्बर 14 मीन रकबा 66 बीघा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी 1, 2 की खातेदारी में तथा दूसरा खसरा नम्बर 14 मीन भंवरसिंह पुत्र मंगेजसिंह राजपूत रमकबा 21 बीघा , रेखाराम पुत्र मानाराम कौम जाट रकबा 12 बीघा सावंतासिंह पुत्र मगेजसिंह रकबा 33 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
मावां

खातेदारी में तथा तीसरा खसरा नम्बर 14 मीन अप्रार्थी 4 सुरेन्द्रसिंह पोता भंवरसिंह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। अप्रार्थी भंवरसिंह ने ग्राम देवली के नामान्तकरण संख्या 308 की प्रति पेश की हैं जिसके अनुसार खसरा नम्बर 14 जिसमें भंवरसिंह पुत्र मंगेजसिंह के 21 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी उसके फौत होने पर जरिये फौतगीनामान्तकरण भंवरसिंह पुत्र मंगेजसिंह 21 बीघा भूमि के स्थान पर जरिये गोद पुत्र की हैसियत से सुरेन्द्रसिंह पोता भंवरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड की गई हैं जिसके अनुसार अप्रार्थी 4 खसरा नम्बर 14मीन रकबा 29–15 बीघा स्वंय की अर्जित भूमि एवं खसरा नम्बर 14 मीन में भंवरसिंह पुत्र मंगेजसिंह से जरिये उत्तराधिकार में प्राप्त 21 बीघा कुल रकबा 50–15 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार हुआ हैं तथा मिलान खसरा नम्बरान के अनुसार सुरेन्द्रसिंह पोत्र भंवरसिंह के हक हिस्से में दर्ज भूमि के नये खसरा नम्बर 49, 56 कुल रकबा 7.85 हैक्टयर का खातेदार सेटलमेन्ट के द्वारा दर्ज रिकार्ड हुआ हैं जो सही हैं तत्पश्चात सुरेन्द्रसिंह पोता भंवरसिंह एवं उसके संगे भाईयों के बीच सम्पूर्ण भूमि का बंटवारा होने पर न्यायालय आदेश से खसरा नम्बर 49, 56 कुलरकबा 7.85 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थी 3 से 6 प्रत्येक के नाम 1/4, 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई है। प्रस्तुत रिकार्ड ये स्पष्ट रूप से प्रतीत होता हैं कि अप्रार्थी सुरेन्द्रसिंह सेटलमेन्ट से पूर्व से ही 50–15 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड था एवं सेटलमेन्ट के बाद भी 7.85 हैक्टयर भूमि का ही खातेदार दर्ज हुआ हैं जिससे प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दिया गया तर्क कि प्रार्थी व अप्रार्थी 1, 2 की खातेदारी में से कम कर अप्रार्थी सुरेन्द्रसिंह की खातेदारी में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दर्ज कर दी गई हैं उचित प्रतीत नहीं होता हैं अप्रार्थी सुरेन्द्रसिंह की भूमि सेटलमेन्ट के पूर्व में दर्ज रकबे अनुसार ही दर्ज हैं न तो ज्यादा हुई हैं न ही कम साथ ही अप्रार्थी 3 से 6 द्वारा न्यायालय में वाद पेश कर अपनी भूमि का विधित रूप से खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवा कर खातेदार काश्तकार दर्ज हुऐ हैं जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी 1, 2 का कोई हक हिस्सा या हित निहित होना प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी 3 से 6 ग्राम देवली कलां के खसरा नम्बर 49 व 56 कुल रकबा 7.85 हैक्टयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं प्रार्थी की भूमि कम हुई हैं तो प्रार्थी मूल वाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय करे। अप्रार्थी 3 से 6 की खातेदारी अलग हैं अलग होल्डिंग कायम हो रखी हैं सेटलमेन्ट से पूर्व रकबे के मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हैं के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा करपाबन्द करवाने का कानूनी अधिकार नहीं हैं। अप्रार्थी 3 से 6 भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं जिनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर जा सकती है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से दिनांक 14.09.2016 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश अपास्त किया जाकर मूल अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 27.12.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि सिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा